

06-06-19

पत्रांक-श्रम क० सं०-07/2019-175

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से 06 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 180000/- (एक लाख अस्सी हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)/ दावेदार	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० प्रमेश्वर पासवान, 55, श्री लखन पासवान, पि० वर्ग	श्रीमती मीना देवी(पत्नी)	98/21.2.19	ग्रा०+पो०+धा०-हलसी, लखीसराय	33534628 092	SBI, Halsi, SBIN0004574	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर का कार्य
2	स्व० अशोक राम, 40, स्व० भोला राम, अ० पि० वर्ग	श्रीमती माधुरी देवी(पत्नी)	97/21.2.19	ग्रा०+पो०-पुरानी छावनी इंगलीश, प्र०-बड़हिया, लखीसराय	05660110 069097	Uco Bank, Barahiya UCBA0000566	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, रिक्शा चलाने का कार्य
3	स्व० तारा देवी, 59, पि० वर्ग	श्री शिवनन्दन मंडल(पति)	87/15.2.19	ग्रा०+पो०-शिवसोना, प्र०-हलसी, लखीसराय	31130131 000927	BGB shivsona, UCBAORRBBK G	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
4	स्व० कारू पासवान, 37, स्व० राधे पासवान, पि० वर्ग	श्रीमती विभा देवी(पत्नी)	75/11.2.19	ग्रा०-रामटोला बालूपर, पो०-दामोदरपुर, प्र०+जि०-लखीसराय	36536052 679	SBI, ADB LAKHISARAI, SBIN0002968	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
5	स्व० अशोक कुमार मंडल, 43, श्री मनीकांत मंडल, पि० वर्ग	श्रीमती कौशल्या देवी(पत्नी)	73/08.2.19	ग्रा०-हकीमगंजए, पो०-किउल(आर०एस०), प्र०+जि०-लखीसराय	36591650 65	CBI, LAKHISARAI, CBIN0282417	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर का कार्य
6	स्व० उमेश मंडल, 54, श्री भाषो मंडल, अ० पि० वर्ग	श्रीमती रेशो देवी(पत्नी)	72/08.2.19	ग्रा०+पो०-लोशधानी, प्र०-सूर्यगढ़ा, लखीसराय	06560110 025369	Uco Bank, Suryagarha, UCBA0000656	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर का कार्य

कुल :- ₹ 180000/-

(एक लाख अस्सी हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत अनुदान राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-07/2019 के पृष्ठ-05/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-07/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित

P/

करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह0/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-07/2019-175

पटना, दिनांक :- 06-06-19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 180000/- (एक लाख अस्सी हजार रूपए रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित/ आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अजय कुमार सिंह
04-06-19

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

गणेश कुमार झा
04/06/19

(डा0 गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

गोपाल मीणा
06/06/19

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।